न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/255

1. रामदत्त पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. सुरेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. रामजानकी पत्नी हीरालाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पाना पत्नी हेमराज जाति धाकड निवासी गेठडा तहसील देवली जिला टोंक ।
2. श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री श्रवण जाति धाकड निवासी ठाकरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मनमिन्द्र कौर पत्नी श्री निशान सिंह जाति जट सिक्ख निवासी 71, अल्फा कॉम्प्लेक्स, बजरंग नगर पुलिस लाईन, कोटा ।
4. हीरालाल आत्मज श्री छगना जाति धाकड निवासी रंगपुरिया नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. लटूर पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी रंगपुयिा नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. विजेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 09.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी कुल किता 04 कुल रकबा 3.75 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है । उक्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण का प्रतिवादी कम 5 व 6 हीराजी के साथ–साथ जन्म से ही अधिकार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार है । उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थी कम 1 उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करने एवं उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है यदि दौराने वाद उक्त भूमि को प्रतिवादी ने बेचान, रहन एंव खुर्द–बुर्द कर दिया जो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे । प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.11.2014 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2014 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का वाद घोषणा का था वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से छगना को दान करने का अधिकार नहीं था । इस प्रकार उक्त दान अवैध होने से जमाबन्दी में नाम दर्ज होने पर भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखने हेतु उक्त भूमि को रहन, बेचान पर पाबन्दी लगाने हेतु निवेदन किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में त्रुटि की है । प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 निरस्त फरमया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2003 आरआरटी पेज 373, 2013 डब्ल्यूएलसी (राज0) पेज 556, 2015 (1) आरएलडब्ल्यू पेज 450 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को जरिये वसीयत से प्राप्त हुई कैसी पाना की मॉव थी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पाना

के नाम दर्ज हुई । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2004 को उपखण्ड अधिकारी का निर्णय हुआ जिसमें तनकी नं0 01 हमारे पक्ष में तय की थी जिसमें हमें खातेदार माना । उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2004 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की थी जिसमें भी माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2007 में अपील खारिज कर दी । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने भी रेस्पोडेन्ट को सही होना माना है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सभी फैसले रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहिए था तो वह इस सम्बन्ध में अपना काउन्टर क्लेम पेश करते या माननीय उच्च न्यायालय में जाते अब इस स्तर पर निर्णय को गलत नहीं बता सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 बहाल रखा जावे । उन्होंनें अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 1998 पेज 79 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण अपीलान्ट का हित निहित होना अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है और दौराने वाद यदि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द कर दी गई तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होने का निवेदन किया है ।

10. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित–निहित होने का कथन किया है । यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण अपीलान्ट का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित होता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित होती है । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 निरस्त किया जाता है । रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

12. निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा